(173)

कार्यालय नगर पंचायत जनकपुर रोड

पत्रांक ________ / दिनांक ____

प्रेषक : कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत जनकपुर रोड

सेवा में,

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय, सोशल सेक्टर-1
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
बिहार पटना

विषय :— नगर पंचायत जनकपुर रोड के अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-06/12-13 (अवधि 2009-10 से 2010-11 तक) का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय पत्रांक 1531/939 दिनांक 25.12.12 के द्वारा प्रेषित नगर पंचायत जनकपुर रोड के अंकेक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-06/12-13 अवधि 2009-10 से 2010-11 तक के अंकेक्षण लेखा प्रतिवेदन के कंडिकाओं में उठाये गये आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया है। तदनुसार अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित कंडिकाओं के सुझाव/आपत्तियों का अंकेक्षण के निर्देशानुसार अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ भेजा जा रहा है।

विश्वासभाजन
ह0/-
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत जनकपुर रोड

ज्ञापांक 333 / दिनांक— 09.09.14

प्रतिलिपि उपसचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ अग्रसारित।

9/9/14

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत जनकपुर रोड
9/9/14

1019
2229

आ०सं० 156
24/9/14

…प्रतिवेदन संख्या – 6/12-13 (अवधि 2009-10 से 2010-11 तक) का नगर पंचायत जनकपुररोड का अनुपालन प्रतिवेदन

	Para No.	Nature of objection	compleance
1.	3.	लेखा परीक्षा ... दी गई है।	नगर पंचायत जनकपुररोड के कार्यालय में तृतीय वर्गीय दो पद ही सरकार से स्वीकृत है जिनमें एक प्रधान सहायक एवं दूसरा टैक्सदारोगा का पद है। कर्मियों की कमी के कारण अभिलेख, पंजी एवं संचिका का संधारण एक कर्मचारी से संभव नहीं हो पाता है। अंकेक्षण प्रतिवेदन में अंकित सूची परिशिष्ट-1(क) के अनुसार संधारण हेतु कर्मियों की संख्या बढ़ाने हेतु विभाग को पदों की स्वीकृति देने हेतु लिखा गया है।
2.	(4.)	लम्बित कंडिकाएं ... प्रस्तुत नहीं किया गया है	अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 7/2 (09-10) में 11 कंडिकाओं के अतिरिक्त कंडिकाओं का अनुपालन किया गया है। अन्य कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।
3.	5.	अंकेक्षण की प्रमुख ... [illegible]	अंकेक्षण के दौरान अंकेक्षकों के द्वारा दर्शाये गये निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।
4.	6.	आंतरिक लेखा परीक्षा ... प्रतिवेदन	आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-97 के प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की जा रही है।
5.	7.	वित्तीय अधिदूरण ...	अंकेक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित अन्तःरोषका वार्षिक लेखा प्रतिवर्ष वार्षिक रूप से तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा।
6.	8.	बजट की स्थिति.	नगर पंचायत का वार्षिक बजट अंकेक्षण के दौरान दिखाया गया था। अंकेक्षक के द्वारा दर्शाये गये निर्देशालोक में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट तैयार किया जायेगा।
7.	9.	सरकारी अनुदान की स्थिति ...	नगर पंचायत कार्यालय में मुख्य कैशबुक में सरकारी अनुदान का इन्द्राज किया जाता है तथा मदवाइज सहायक रोकड़ पंजी संधारित किया जाता है। अंकेक्षण के निदेशानुसार अगले वित्तीय वर्ष से अनुदान पंजी संधारित किया जायेगा।
8.	10.	गृहकर वसूली की दयनीय स्थिति ...	नगर पंचायत में गृहकर एवं अन्य शुल्क की वसूली हेतु टैक्सदारोगा का एक ही पद पर कार्यरत कर्मी द्वारा सभी 11 वार्डों में टैक्स की वसूली करनी पड़ती है। फलतः वसूली का प्रतिशत निम्न है। वसूली में वृद्धि लाने हेतु तहसीलदार के पदों की स्वीकृति हेतु विभाग को लिखा गया है। अंकेक्षण के निदेशानुसार वार्षिक मांग एवं वसूली पंजी संधारित करने हेतु टैक्सदारोगा को आदेश दिया गया है जो अगले अंकेक्षण को दिखाया जायेगा।
9.	11.	नहीं जमा/कम जमा राशि ...	अंकेक्षण के दौरान कम जमा राशि 1,47,471=00 रुपये को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा 1,21,221=00 रुपये जमा कर दिया गया है। अवशेष राशि 26,250=00 रुपये को श्री रामकुमार चौधरी सफाई जमादार को नगर पंचायत कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है।
10.	12.	नक्शा पारित करवाने ... शुल्क की वसूली.	नगर पंचायत के अन्तर्गत पूर्व में बिना नक्शा पारित कराये मकान बना लिया गया है जिन्हें मकान का नक्शा पारित कराने सम्बन्धी नगरपालिका अधिनियमानुसार दंड देने की कार्रवाई की जा रही है।

...ा प्रतिवेदन संख्या- 6/12-13(अवधि- 200-10 से 2010-11 तक) का [illegible]
...ररोड का अनुपालन प्रतिवेदन

	Para No.	Nature of objection	Compliance
1.	13.	बकाया मोबाइल टावर शुल्क	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्धारित मोबाइल टावर शुल्क की वसूली कुछ टावर से की गई है तथा अन्य मोबाइल टावर कम्पनी को शुल्क जमा करने हेतु नोटिस, पत्र आदि भेजे गये हैं एवं वसूली की कार्रवाई की जा रही है।
12.	14.	सैरातों को नगर पंचायत राजस्व की हानि	बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-100 के प्रावधानों के अनुसार प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना के पत्रांक 561 (7) रा० दिनांक 7.12.10 के द्वारा सैरात (हाट, बाजार, मेला सहित) के नगर निकाय में सन्निहित करने के निर्देशालोक में अंचल अधिकारी पुपरी के द्वारा अपने पत्रांक 779 दिनांक 31.12.10 से नगर पंचायत के अन्तर्गत स्थित सैरात, पुपरी हाट बघ [illegible] एवं पोखरा आदि को नगर पंचायत जनकपुररोड में हस्तांतरित कर दिया गया। तदनुसार नगर पंचायत द्वारा उक्त हाट से कौड़ी वसूली प्रारम्भ कराई गई परन्तु अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी के द्वारा अपने पत्रांक-49 दिनांक 8.1.11 से उक्त हाट से कौड़ी वसूली रोक दिया गया जिसके विरुद्ध नगर पंचायत द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में C.W.J.C. 8962/2011 [illegible] किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रत्याशा में वसूली स्थगित है।
13	15(क)	अपूर्ण योजनाओं में लम्बित अग्रिम	नगर पंचायत के द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में ली गई 15 योजनाओं में 6 अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराने हेतु संवेदकों को सूचित किया गया है जिसे शीघ्र पूर्ण कर दिया जायेगा।
	15(ख)	श्रम कर की कटौती नहीं	नगर पंचायत द्वारा संवेदकों से कराई गई योजना के विपत्रों से पूर्व में Labour Cess (श्रम उपकर) की कटौती नहीं की गई है। अंकेक्षण के सुझाव के अनुसार श्रम उपकर की कटौती करने की कार्रवाई की जा रही है।
4.	16.	विलम्ब से पूर्ण की गई शास्ति नहीं काटना	नगर पंचायत द्वारा संवेदकों से कराई गई योजनाओं के कार्यान्वयन में हुए विलम्ब के लिये पदाधिकारी द्वारा अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है तथा जिन संवेदकों को अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है, उनसे निर्धारित दंड की राशि काटी जा रही है।
.	17.	दैनिक वेतन भोगियों पर अनियमित व्यय	नगर पंचायत में सरकार से मात्र पाँच सफाई मेहतर का पद ही स्वीकृत है जबकि ग्यारह वार्डों में सफाई कार्य कराना पड़ता है। इसी प्रकार नगर पंचायत कार्यालय में भी तृतीय वर्गीय दो पद एवं चतुर्थ वर्गीय दो पद ही स्वीकृत हैं जिनसे कार्यालय का सभी कार्य संभव नहीं हो पाता है। फलस्वरूप कार्यबोझ को देखते हुए दैनिक वेतन पर संविदा के आधार पर कर्मियों को रखकर कार्य कराया जाता है। विभाग से पदों की स्वीकृति हेतु बार-बार [illegible] भेजे गये हैं। परन्तु सरकार से पदों की स्वीकृति में विलम्ब संविदा पर कर्मियों को रखकर कार्य कराया गया है।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं०ला० 6/12-13 (अवधि 2009-10 से 2010-11 तक) का अनुपालन प्रतिवेदन

	No.	Nature of objection	Compliance
	18.	स्वीकृत बल के विरुद्ध - - - - कार्यरत बल की स्थिति - - -	नगर विकास विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 133 दिनांक 20.2.11 के द्वारा नगर पंचायत में कुल नौ पदों की स्वीकृति दी गई थी जिसमें एक प्रधान सहायक, एक टैक्स दारोगा, एक सफाई जमादार एक आदेशपाल एवं पाँच सफाई मेहतर हैं जबकि चालीस वर्ष के बाद भी विभाग से पदों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। नगर पंचायत द्वारा पदों की स्वीकृति हेतु बार बार स्मारपत्र भेजे गये हैं। विभाग द्वारा स्वीकृत बल को तर्कसंगत बनाने की कार्रवाई चल रही
17.	19.	अग्रिम - - - - - -	नगर पंचायत कार्यालय द्वारा सरकार से प्राप्त आवंटन से योजनाओं का कार्य कराया जाता है। संवेदकों को दिये गये अग्रिम का समायोजन योजना के पूर्ण होने पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये दिये गये अग्रिम को समायोजन की कार्रवाई की जा रही है। अंकेक्षण के द्वारा बताये गये निर्देश के अनुसार अग्रिम पंजी का संधारण कर अगले अंकेक्षण को दिखाया जायेगा।

30/10/13
प्र० लि०
न० पं० [illegible]

2/9/14
कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पं० [illegible]